BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Shyamlata Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 02.09.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-4
2.	**Annexure 1** A true copy of the order dated 19.11.2015 passed by the Hon'ble Allahabad High Court in PIL No. 58620/2015	5-9
3.	**Annexure 2** A table summarizing the communications along with the letters	10-35
4.	**Annexure 3** A true copy of the letter dated 11.11.2025	36-37

THROUGH

DATE: 22.11.2025
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

10रु. Rs.10 268 India C.C. Vns NOTARY

S.No. 15762 Year 21.11.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

NOTARIAL NOTARIAL
उदयकृष्ण चतुर्वेदी U. K. Chatuvedi रजि०नं०-13373/17 NOTARY GOVT OF INDIA

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Shyamlata — Applicant

Versus

Union of India & Ors. — Respondent(s)

<u>RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 02.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI</u>

I Rohit Singh, aged about 53 Year S/o Shri N.C. Sachan, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above mentioned post and is the authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is well conversant to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 02.09.2025 has passed the following directions:

नोटरी भारत सरकार उदयकृष्ण चतुर्वेदी U. K. Chatuvedi रजि०नं०-13373/17 21.11.25 NOTARY GOVT OF INDIA

"……… 4. Learned counsel further submits that he had sought an information under the RTI Act in respect of the policy which has been framed for grant of compensation by the State to those who have lost their life in such accidents and in reply to the said RTI query he was informed that the matter was under consideration. In this regard he has relied upon the RTI reply dated 31.07.2025 (Page 171).

5. Issue notice to the respondents. Ms. Sthavi Asthana, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 7 - UPPCB. Learned counsel

for the applicant is directed to supply a copy of the OA along with complete set of annexures to learned counsel for Respondent No. 7 within one week. Respondent No. 7 is directed to file a reply by way of affidavit within four weeks. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 26.11.2025."

3. That it has been alleged in the O.A. that the Applicant's son lost his life because of injuries suffered due to Chinese manjha, for which the applicant prays for compensation as well as action against the violators.

4. That the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad has dealt with the issue of Chinese manjha in PIL No. 58620/2015 titled as 'Anurag Mitra vs State of UP and others' vide order dated 19.11.2015 whereby the Hon'ble High Court directed as follows:

"The State Government shall adopt all appropriate steps for enforcement in accordance with law, including necessary steps to prohibit manufacture, use and sale of "Chinese Manjha" in any form whatsoever."

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

A true copy of the order dated 19.11.2015 passed by the Hon'ble Allahabad High Court in PIL No. 58620/2015 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1.**

5. That this Hon'ble Tribunal has also dealt with the issue of Chinese manjha in OA No. 384/2016 titled as 'Khalid Ashraf vs Union of India' and order dated 21.01.2020 passed in EA no. 06/2020.

6. That in compliance with orders passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad as well as orders passed by this Hon'ble Tribunal, for prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of thread made of nylon, synthetic material or coated with synthetic substances which is non bio-degradable for kite flying, UPPCB sent letters to the Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh being letters dated 07.04.2025, 22.01.2021, 22.05.2020, 06.03.2020 & 26.09.2018. Further, the Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh has sent letter dated 02.04.2025, 15.06.2020, 16.03.2020 & 22.06.2018 to Home Police, U.P. Government. A table summarizing the communications along with the letters is annexed hereto and marked as **Annexure No. 2.**

7. That UPPCB is committed to rendering all possible assistance to the State authorities in ensuring compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal as well as the Hon'ble High Court. In a similar case, the Incharge Inspector, Thana-Sigra, Zone Kashi, Commissionerate Varanasi informed UPPCB vide letter dated 11.11.2025 that Chinese manja weighing about 14946 kg had

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

been recovered, against FIR No. 06/2025 registered at the local police station under sections 125 / 223 / 293 BNS and 5/15 Environment Protection Act-1986 and requested the presence of the Regional Officer, UPPCB, Varanasi during disposal of Chinese manjha accordance with the order of the Hon'ble Court Chief Judicial Magistrate, Varanasi. It is submitted that since Chinese manjha includes plastic & hazardous substances such as lead as its constituents, UPPCB is in the process of determining appropriate methods of disposal in compliance with environmental laws. A true copy of the letter dated 11.11.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 3.**

8. That it is submitted that grant of compensation is to be dealt with by the State authorities in compliance with law.

9. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has concealed therefrom

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
21.11.25
NOTARY GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ..Varanasi.. on this 21st Nov day of 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

पंजियन / Registration
क्र०सं०/Sr. No. 15762
दि०/Dt. 21.11.25
स्थान/Place CCVUP
एड०/Adv.
By Uday Kumar
एड०Adv. दि०क०का०
C C V. U.P
21.11.2025

AFR

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 58620 of 2015

Petitioner :- Anurag Mishra
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Yogesh Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma,J.

The petition has been instituted as a public interest litigation to highlight the serious dangers to public safety that are being caused by the use of "Chinese Manjha" as an appendage to kites. The string or Manjha, it is stated, is made of metallic/nylon yarn with an abrasive coat of crushed glass gummed on it which makes it razor sharp. As a result, serious injuries are liable to be caused and are being caused. The petitioner initially relied upon a report published in the daily newspaper 'Hindustan' dated 25 September 2015 which indicated that a death had been caused as a result of an accident due to the kite string. The kite string is also known to cause grievous injuries to birds.

The petitioner has, broadly, sought three reliefs:

(i) A prohibition on the manufacture or sale of the string;

(ii) Designation of areas for the flying of kites which would obviate dangers to public safety; and

(iii) Treatment of persons who are injured.

By the order of this Court dated 14 October 2014, the Collector and District Magistrate was directed to look into the matter and formulate steps to be taken to curb incidents such as those which are highlighted in the petition. In the meantime, a direction was issued to initiate steps to spread awareness among of the inherent danger involved, to prevent the use of Chinese Manjha and to adopt suitable measures to prevent accidents. In response, the Collector and District Magistrate states that the Commissioner, Allahabad Division, in pursuance of a representation which was received by him, directed the District Magistrate by a letter dated 29 September 2015 to take necessary action. After taking a legal opinion from the Joint Director of Prosecution on 9 October 2015, the Additional District Magistrate (City) issued an order on 5 November 2015 under Section 144 of the Code of Criminal Procedure Code, 1973 prohibiting the sale and use of "Chinese Manjha" in the entire city of Allahabad. Moreover, it has been stated that a joint team of executive magistrates and police officers have made surprise raids on various shops where such material is being sold and the material found in such raids has been confiscated. The District Administration, the Court has been informed, is taking all possible steps to prevent the sale and use of "Chinese Manjha" to prevent any such incident in future.

The seriousness of the problem is apparent from the fact that even after passing of the order of this Court dated 14 October 2015, incidents have been reported in the print media about deaths and injuries which have been sustained as a result of contact with the offending Manjha strings. For

instance, the learned counsel appearing on behalf of the petitioner has placed on the record a copy of a report dated 20 October 2015 contained in the daily edition of 'Hindustan' which indicates that a man aged about 44 years sustained grievous injuries on the neck near the Iskon Temple as a result of an accident was caused due to injuries sustained from the Manjha string. Similarly, there is a report in the daily newspaper 'Dainik Jagran' dated 15 November 2015 stating that a young child has sustained serious injuries on the nose due to an accident sustained through contact with "Chinese Manjha". Various other news items have been placed for the perusal of the Court. These include a report published in 'Amar Ujala' dated 28 October 2015 in its Allahabad edition. There is also a subsequent report dated 21 October 2015 in the daily 'Hindustan'.

We are conscious of the limitations on the evidentiary value of such newspaper reports. However, having due regard to the element of public interest involved, we are of the view that the matter is serious enough to warrant appropriate action by the District Administration as we shall now indicate, at a wider state level, since the problem may not be only confined to the city of Allahabad. The affidavit which has been relied upon by the District Administration contains a complaint which was submitted to the Commissioner, Allahabad Division. The complaint contains a summary of other incidents which have taken place in the past involving deaths of human beings and grievous injuries to birds as well. The representation indicates that in the preparation of the "Chinese Manjha", the use of iron and glass

pieces is resorted to on plastic (instead of the use of conventional thread) which renders the Manjha extremely potent and capable of causing serious injuries.

In our view, the issue must be tackled not only by making sporadic raids, as has been done by the District Administration but first and and foremost, steps must be taken by the authorities to ensure that there is a complete prohibition on the manufacture of "Chinese Manjha" at a statewide level. Where any such activities are found to be carried out illegally, necessary enforcement action should be taken in respect of such establishments and for seizing all material. Secondly, a sustained awareness and publicity campaign should be carried out so as to ensure that members of the public, particularly the younger generation which indulges in the sport of flying kites particularly in and around the 'Makar Sankranti' festival is made conscious of the dangers involved. This should be ensured by carrying out a sustained publicity campaign, in the print and electronic media and by utilizing the social media to propagate public service messages.

The petitioner prays that wherever possible, it would be appropriate to designate specified places for flying kites so as to reduce the possibility of the danger involved. We are conscious of the fact that the sport of flying kites takes place across localities and even on the terraces of residential houses and there may be limitations on the power of the District administration to enforce such a regulation as sought, however desirable. The District administration may look into this aspect about designating one

or more places during the Sankranti festival. We leave this to the District Magistrate to decide. Hence, we are of the view that basically the issue which needs to be addressed is in regard to prohibiting the manufacture, sale and use of material which is liable to pose a danger to human health and to birds and animals by the use of the "Chinese Manjha".

We clarify that by this order we are not imposing any ban on the flying of kites but are issuing necessary directions so that such material which causes grave danger to human beings, animals and birds as the petitioner has highlighted is not used. The danger and problem is not confined to Allahabad. Apart from the district of Allahabad, if the Principal Secretary (Home) shall issue a communication to the Collectors of each district containing directions in implementation of this order. The directions contained in this order are not intended to be an exhaustive catalogue. The State Government shall adopt all appropriate steps for enforcement in accordance with law, including necessary steps to prohibit manufacture, use and sale of "Chinese Manjha" in any form whatsoever.

The petition is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs.

Order Date :- 19.11.2015
VMA

(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(Yashwant Varma, J.)

ANNEXURE-2

Letter issued to concern authority by U.P. Pollution Control Board and Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh are following in tabular form:-

S.No.	Letter Issuing Authority	Refference no. and date	Remark
1	Member Secretary, U.P. Pollution Control Board	H 26780/C-7/NGT-275/2025, Dated-07.04.2025	Letter sent to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh with request for necessary action in compliance of Hon'ble NGT order.
2	Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh	Section-7 No.-NGT-307/81-7-2025-1920553 Lucknow: Date 02 April, 2025	Letter sent to Principal Secetary, Home Department, Uttar Pradesh Government
3	Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh	Section-7 No.-NGT-60/81-7-2021-49 (Praya)/2015, Date 02 April, 2025	Letter sent to Additional Chief Secetary, Home Department, Uttar Pradesh Government
4	Member Secretary, U.P. Pollution Control Board	G 134741/C-7/NGT-275/2021, Dated-22.01.2021	Letter sent to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh with request for compliance of Hon'ble NGT order.
5	Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh	Section-7 No.-NGT-235/81-7-2020-49 (Praya)/2015, Date 15 June, 2020	Letter sent to Additional Chief Secetary, Home Department, Uttar Pradesh Government
6	Member Secretary, U.P. Pollution Control Board	G 32771/C-7/NGT-275/2021, Dated-22.05.2020	Letter sent to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh with request for compliance of Hon'ble NGT order.
7	Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh	Section-7 No.-NGT-152/81-7-2020-49 (Praya)/2015, Date 16 March, 2020	Letter sent to Additional Chief Secetary, Home Department, Uttar Pradesh Government
8	Member Secretary, U.P. Pollution Control Board	G 32461/C-7/NGT-275/2021, Dated-06.03.2020	Letter sent to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh with request for compliance of Hon'ble NGT order.
9	Member Secretary, U.P. Pollution Control Board	H 26446/C-7/NGT-275/2018, Dated-26.09.2018	This letter issued to all District Magistrate and All SSP and SP of U.P. for compliance of Hon'ble NGT order
10	Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh	Section-7 No.-NGT-1138/55-praya-1-42 writ/2018, Date 22 June, 2018	Home Department, Uttar Pradesh Government Section-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या: H26780/C-7/NGT-275/2025 दिनांक 7-4-25

सेवा में,

प्रमुख सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 23.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे, **छायाप्रति संलग्नक–1 के रूप में संलग्न**। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उक्त पत्र द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–384/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में सूचना चाही गयी है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उक्त पत्र दिनांक 23.01.2025 के साथ संलग्न श्री सौरभ तिवारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट के शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2025 द्वारा जनपद–वाराणसी में चाइनीज मांझे/प्रतिबन्धित मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में शिकायत प्रेषित करते हुए सिन्थेटिक मांझा, चाइनीज मांझे एवं नायलॉन पतंग डोरी निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–1 के पत्र सं0–8/2017/188/55–पर्या–2017–49(पर्या)/2015 दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0, समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, निदेषक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद, को रिट याचिका सं0–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा माननीय, राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये :–

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

अग्रेतर प्रमुख सचिव, गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.11.2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये। **छायाप्रति संलग्नक–2 एवं 3 के रूप में संलग्न।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.

2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold andused. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.

3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.

A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.

अग्रेतर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के पत्र दिनांक 05.02.2021 द्वारा प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में की गयी कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। **छायाप्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न।**

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 23.01.2025 के साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2025 के निराकरण हेतु प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन के संबंध में की गयी कार्यवाही का जनपदवार विवरण बोर्ड को प्रेषित कराये जाने हेतु शासन स्तर से गृह विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(signature)

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूनार्थ प्रेषित।

1. सुश्री/श्रीमती अनामिका सागर, एडिशनल डायरेक्टर एण्ड डिवीजनल हेड, आईपीसी–V० केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुननगर, दिल्ली।
2. श्री सौरभ तिवारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, गणपति नगर कॉलोनी, रतनाकर विहार कालोनी के पीछे, छित्तरपुर, वाराणसी–221005।

(signature)

सदस्य सचिव

15(093)/19/2025-07-D/o Environment, Forest and Climate Change

पत्रांक : 477 उ0प्र0 शासन/एम एस कैम्प/2025
दिनांक : 05/05/25

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन०जी०टी०-307/81-7-2025-1920553
लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2025

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-152/81-7-2020-49(पर्या)/2015, दिनांक 16.03.2020, पत्र संख्या-एन.जी.टी.-235/81-7-2020-49(पर्या)/2015, दिनांक 15.06.2020 एवं पत्र संख्या-एन.जी.टी.-50/81-7-2021-49(पर्या)/2015, दिनांक 05.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा / सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 /उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी वांछित आख्या / सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र संख्या-CP-13011/35/2023-IPC-V-HO-CPCB-HO/8681, दिनांक 23.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-384/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सिन्थैटिक मांझा / सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में सूचना चाही गयी है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उक्त पत्र दिनांक 23.01.2025 के साथ संलग्न श्री सौरभ तिवारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट के शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जनपद-वाराणसी में चाइनीज मांझे / प्रतिबन्धित मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में शिकायत प्रेषित करते हुए सिन्थैटिक मांझा, चाइनीज मांझे एवं नायलॉन पतंग डोरी के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

(संजीव कुमार सिंह) सदस्य सचिव 05/05/25

3- अतः इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 16.03.2020, दिनांक 15.06.2020 एवं दिनांक 05.02.2021 द्वारा किये गये अनुरोधानुसार प्रदेश में सिन्थैटिक मांझा / सीसा लेपित / नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन के संबंध में कृत कार्यवाही का जनपदवार विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-

C-7

81-7005(099)/19/2025-07-D/o Environment, Forest and Climate Change

envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in & ceo7@uppcb.in) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण की महत्ता / समयबद्धता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Ghanshyam Singh
Date: 02-05-2025 18:21:49

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-एच-26789/सी-7/एनजीटी-275/2025, दिनांक 07.04.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by
Shailendra Kumar
Date: 02-05-2025 18:33:29

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या–G35049/सी-7/NGT-275/2021 दिनांक 23-2-21

सेवा में,

अनुसचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः– प्रदेश मे नायलान मांझा को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–373/इक्यासी–3–21 दिनांक 22.02.2021 का सदंर्भ लेने का कष्ट करे। उक्त पत्र दिनांक 22.01.2021 के प्रारूप –2 के क्रम संख्या 13 पर भारत सरकार के सचिवगण से प्राप्त शिकायतों के संबंध मे निम्न सूचना वांछित है–

क्र. सं.	भारत सरकार के पत्र की संख्या व दिनांक	विषयवस्तु (सूक्ष्म में)	विभाग द्वारा कृत कार्यवाही	यदि कार्यवाही लम्बित है, तो उसके कारण	भारत सरकार को भेजे गये उत्तर की संख्या व दिनांक
13.	D.No.9-17/2020-21/PCA, दिनांक 08.01.2021	Request to issue strictly directions to Ban completely on Nylon Manjha on the occasion of Makarsankranti.	शासन के पत्र संख्या–एन.जी.टी.–22/81–7–2021–23(रिट)/2018 टी.सी. दिनांक 19.01.2021 के माध्यम से सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 01.05.2017 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया गया है। कार्यवाही पूर्ण होने के दृष्टिगत प्रकरण लम्बित नहीं है।	लम्बित नहीं है।	–

भवदीय

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष-272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764
ई–मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

D:\G C Arya\General Note Sheet\Letter.docx

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–एन.जी.टी.–50/81–7–2021–49(पर्या)/2015
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2021

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन.जी.टी.–152/81–7–2020–49(पर्या)/2015, दिनांक 16.03.2020 एवं संख्या–एन.जी.टी.–235/81–7–2020–49(पर्या)/2015, दिनांक 15.06.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी वांछित आख्या/सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

2– उल्लेखनीय है कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि चायनीज मांझे के प्रयोग को रोके जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट मा0 अधिकरण के समक्ष 03 माह में प्रस्तुत की जाय तथा समस्त राज्यों द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 01 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

3– अतः पुनः अनुरोध है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 16.03.2020 तथा 15.06.2020 द्वारा वांछित सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 को ई–मेल soenvups@rediffmail.com तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.in पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण की महत्ता/समयबद्धता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोक्त।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–एन.जी.टी.–50/81–7–2021–49(पर्या)/2015, तद्दिनांक
प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 G34741 /सी–7/NGT/275/2021 दिनांक 22/1/21

सेवा में,

प्रमुख सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0–जी32771/सी–7/एनजीटी–275/2020 दिनांक 22.05.2020 एवं पत्र सं0–जी32461/सी–7/एनजीटी–275/20 दिनांक 06.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.
2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold andused. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.
3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.

A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.

List for further consideration on 19.05.2020.

उपरोक्त अनुक्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–8/2017/188/55–पर्या– 2017–49(पर्या)/2015 दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0, समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद, को रिट याचिका सं0–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया के संबंध में

...2/–

टी. सी. –12 वी. विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स–0522–2720764
ई–मेल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

(2)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये :–

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

प्रमुख सचिव, गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.11.2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एनजीटी–235/81–7–2020–49(रिट)/2015 दिनांक 15.06.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र के माध्यम से प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था परन्तु उक्त सूचना अप्राप्त है।

कृपया प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भंण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन के संबंध में गृह विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पत्रांक 829/3.4 201 ... 2020
दिनांक....19/06/2020..

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T-235/81–7–2020–49(रिट)/2015
लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2020

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.

2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold and 2 used. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.

3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.

A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.

List for further consideration on 19.05.2020

C-7
19/06/2020
Chinese Manjh
24/6

उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 (पर्यावरण अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–8/2017/188/55–पर्या–2017–49(पर्या)/2015, दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0, समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद्, को रिट याचिका संख्या–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये :–

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/शीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण,

भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

इस संबंध में गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.11. 2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये है।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि चायनीज मांझे के प्रयोग को रोके जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट मा0 अधिकरण के समक्ष 03 माह में प्रस्तुत की जाय तथा समस्त राज्यों द्वारा कृत कार्यवाही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 01 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा सूचनायें 15 दिन में प्रेषित करने हेतु कहा गया है।

2— उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– एन0जी0टी0–152/81–7–2020–49(पर्या)/2015, दिनांक 16.03.2020 द्वारा उक्त के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था, किन्तु सूचना अप्राप्त है।

3— अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या– जी32771/सी–7/एन.जी.टी.–257/2020, दिनांक 22.05.2020 की प्रति प्रेषित करते हुए पुनः अनुरोध है कि प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण की महत्ता/समयबद्धता के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–NGT-235 (1)/81–7–2020–152(रिट)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०– G32771/सी–7/N.G.T.-275/2020 दिनांकः– 22-05-20

सेवा में,

प्रमुख सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, -7-
उ०प्र० शासन।

विषयः–प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिकी पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्रांक–जी32461/सी–7/एन.जी.टी.–275/20 दिनांक 06.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.
2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold andused. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.
3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.
   A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.
   List for further consideration on 19.05.2020.

उपरोक्त अनुक्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण अनुभाग–1, उ०प्र० शासन के पत्र सं०–8/2017/188/55–पर्या– 2017–49(पर्या)/2015 दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०, समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०)/छावनी परिषद, को रिट याचिका सं०–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये :–

...2/–

टी. सी. –12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स–0522–2720764
ई–मेःल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

(2)

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

प्रमुख सचिव, गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.11.2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि चायनीज मांझे के प्रयोग को रोके जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष 03 माह में प्रस्तुत की जाए तथा समस्त राज्यों द्वारा कृत कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड को 01 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा सूचनाएं 15 दिन में प्रेषित करने हेतु कहा गया है।

कृपया प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

o/c

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या-NGT-152/81–7–2020-49 (पर्या)/2015
लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2020

अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग
उ0प्र0 शासन।

प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में Original Application No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेष दिनांक 21.01.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.
2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold andused. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.
3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.

   A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.

   List for further consideration on 19.05.2020.

अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 (पर्यावरण अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–8/2017/188/ 55–पर्या–2017– 49(पर्या)/2015, दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0, समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक,, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद, को रिट याचिका सं0–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये है :–

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

इस संबंध में गृह विभाग, उ0प्र0शासन के पत्र दिनांक 10.11.2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं विकी पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये है।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि चायनीज मांझे के प्रयोग को रोके जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष 03 माह में प्रस्तुत की जाए तथा समस्त राज्यों द्वारा कृत कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड को 01 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा सूचनाएं 15 दिन में प्रेषित करने हेतु कहा गया है।

2.- अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के पत्र दिनांक 06.03.2020 को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं विकी पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0शासन/सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0– G32461 /सी–7/ NGT-275/20 दिनांकः– 06-03-2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया Original Application No. 384/2016 In Execution Application No. 06/2020 Khalid Ashraf Vs. Union of India में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. This application seeks enforcement of order of this Tribunal dated 11.07.2017 prohibiting use of thread made of nylon, synthetic material and/or coated with synthetic substance which is non-biodegradable for kite flying. This Tribunal noted its adverse impact on wildlife and human health and directed prohibition of manufacture, sale, storage, purchase and use of such thread. The direction was to be enforced by the Chief Secretaries of all the States/UTs through the respective District Administration.
2. According to the applicant, the directions are not being enforced. Several accidents have taken place resulting in deaths or accidents, including death of a four year girl in Delhi. Prohibited thread continues to be manufactured, sold andused. There are casualties of birds from time to time in different parts of the country. A lady doctor died in Pune and an engineer died in Mumbai.
3. In view of the above allegations, we consider it necessary to require CPCB to ascertain the status of compliance of the said directions from all the States/UTs and furnish a consolidated report to this Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. All the States/UTs may furnish such information to the CPCB within one month.

   A copy of this order be sent by e-mail to the CPCB, Chief Secretaries of all States/ UTs, SPCBs and PCCs by e-mail.

   List for further consideration on 19.05.2020.

उपरोक्त अनुक्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–8/2017/188/55–पर्या– 2017–49(पर्या)/2015 दिनांक 01.05.2017 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0, समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 एवं नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद, को रिट याचिका सं0–11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य तथा माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया के संबंध में

...2/–

टी. सी. –12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स–0522–2720764
ई–मेःल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये :–

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

प्रमुख सचिव, गुह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.11.2017 एवं पुनः पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कृत कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर गृह पुलिस अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 21.01.2020 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि चायनीज मांझे के प्रयोग को रोके जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष 03 माह में प्रस्तुत की जाए तथा समस्त राज्यों द्वारा कृत कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड को 01 माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा सूचनाएं 15 दिन में प्रेषित करने हेतु कहा गया है।

कृपया प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

O/c

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H26446/सी-7/NGT-275/2018 दिनॉकः 26-9-2018

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषयः—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा—5 के अन्तर्गत चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी के निर्माण, प्रयोग, बिक्री एवं क्रय को रोके जाने आदि के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या—384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 एवं प्रश्नगत विषय पर ही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याजित पी0आई0एल0 संख्या—58620/2015 अनुराग मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2015 के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0—8/2017/188/55—पर्या—2017—49(पर्या)/2015 दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं :—

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एंव बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।"

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रदेश में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे पर लगाये गये प्रतिबन्ध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा—5 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि—

1. पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0—8/2017/188/55—पर्या—2017—49(पर्या)/2015 दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा—5 के अन्तर्गत जारी निर्देश जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एंव बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया गया है, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

सदस्य सचिव

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ—226010
दूरभाषः 0522— 2720831,2720828,2720691,2720681
ई—मेल—info@uppcb.com

TC. 12 v. Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522- 2720831,2720828, 2720691, 2720681
e-mail: info@uppcb.com

पत्रांक ..1127.... /एम एस सेल/20
दिनांक....26-6-18

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग–1
संख्या– /55–पर्या–1–2018–42(रिट)/2018
लखनऊ : दिनांक: 22 जून, 2018

सचिव,
गृह पुलिस अनुभाग–3
उ0प्र0 शासन।

प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में गृह पुलिस अनुभाग–3 के पत्र सं0–413रिट/पु0–3–2018–2(94)पी/2018, दिनांक 06.06.2018 के क्रम में सिविल मिस रिट पिटीशन नोटिस संख्या–4958/2018 एवं पीआईएल संख्या–13864/2018 मोती लाल यादव बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी–27610/सी–7/एन0जी0टी0–275/18, दिनांक 20.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तरवार अभिमत को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :– यथोक्त।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

<u>संख्या– 1138/55–पर्या–1–2018–42(रिट)/2018, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 20.06.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

C-7
26-6-18

फैक्स/ई-मेल/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 413रिट/पु-3-2018-2(94)पी/2018

प्रेषक,

भगवान स्वरुप,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

81-4

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 6 जून ~~मई~~, 2018

विषयः-प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-403रिट/छः-पु-3-15-57पी/2015, दिनांक 11.01.2016 तथा पत्र संख्या-2723पी/पु-3-2017-57पी/2015, दिनांक 16.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर पी०आई०एल० संख्या- 58620/2015 अनुराग मित्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.11.2015 को पारित आदेशों, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मा० एनजीटी के आदेश दिनांक 14.12.2016 तथा पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शासन में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि चायनीज मांझे के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में पी0आई0एल0 (सिविल) संख्या-13864/2018 मोती लाल यादव बनाम प्रधान मंत्री कार्यालय व अन्य योजित की गयी है, जिसमें दिनांक 15.05.2018 को सुनवाई के दौरान दिये गये आदेशों का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

".......The petitioner has approached this Court under Article 226 of the Constitution of India with this petition framed as Public Interest Litigation (PIL) praying for writ of Mandamus to the Central Government to completeiy ban the import of "Chinese Manjha " and further for writ of Mandamus to the State-respondents to completely ban sale and use of "Chinese Manjha " in the State. Shri Ramesh Pandey, learned Chief Standing Counsel has placed before us Government Order dated 16.11.2017, whereby the State has already imposed a ban on manufacturing, storage, use and sale of "Chinese Manjha" in compliance to the order passed by this Court as also the National Green Tribunal.

Further directions issued in the said Government Order is for strict compliance of the directions issued by the Court and the National Green Tribunal. However, despite the

07/06/18

same repeated incidents are taking place in different parts of the State where specially two-wheeler riders are put to risk and have been receiving severe and fatal injuries because of getting entangled in " Chinese Manjha".

Shri Pandey, Chief Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to obtain further instructions in the matter as to how this Government Order is actually being implemented at the ground level and is not just a waste paper.

Further, Shri S.B. Pandey, learned Assistant Solicitor General will obtain instructions from the respondent No.1-Union of India as to whether any such ban as already been enforced by the Central Government or not. As prayed, he is also granted two weeks' time. ...."

3. अतएव मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित उक्त आदेश के समादर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में पूर्व प्रेषित शासनादेश दिनांकित 11.01.2016 तथा 16.11.2017 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही से संलग्न प्रारुप के अनुसार शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(भगवान स्वरुप)
सचिव।

संख्या-413(1) रिट/पु-3-2017-2(94)पी/2018 व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के अनुपालन में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. पर्यावरण अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
उप सचिव।

shashnadesh

क्रमांक 2028
दिनांक 29-11-17

फैक्स/ई-मेल/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-2723पी/पु-3-2017-57पी/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2017

विषयः-प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर पी०आई०एल० संख्या- 58620/2015 अनुराग मित्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मां० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.11.2015 को आदेश पारित किए गए हैं कि राज्य सरकार चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई करें। इस संदर्भ में आदेश दिनांक 19.11.2015 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

.... "We clarify that by this order we are not imposing any ban on the flying of kites but are issuing necessary directions so that such material, which causes grave danger to human beings, animals and birds as the petitioner has highlighted is not used. The danger and problem is not confined to Allahabad. Apart from the district of Allahabad, if the Principal Secretary (Home) shall issue a communication to the collectors of each district containing directions in implementation of this order. The directions contained in this order are not intended to be an exhaustive catalogue. The state government shall adopt all appropriate step for enforcement in accordance with law, including necessary step to prohibit manufacture, use and sale of "Chinese Manjha"in any form whatsoever"।

The petition is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs.

2. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिए गये कि उक्त आदेशों के अनुपालन में आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को सूचित किया जाए। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्याः- 400 रिट/छः पु-3-

shashnadesh

2015-57पी/2015, दिनांक 11.01.2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2015 के अनुपालन में आवश्यक विधिक कार्यवाही कराए जाने के निर्देश दिए गये।

3. चाइनीज मांझे के भंडारण एवं विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पी०आई०एल० संख्या-11759/2015 देवाशीष मित्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2015 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत पत्र संख्या-10/2016/69/55-पर्या-16-49(पर्या)/15, दिनांक 02.03.2016 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये- "उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु चीन में निर्मित मांझो का प्रयोग, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबंधित किया जाता है" तथा उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया गया।

4. चाइनीज मांझे के प्रयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मा० एनजीटी के आदेश दिनांक 14.12.2016 के प्रभावी अंश निम्नवत है:

> "We hereby direct that in the entire country there shall be prohibition on procuring, stocking, sale and use of Nylon thread which is also called Chinese Dori or Chinese Manjha and other synthetic threads coated with glass and such other harmful substances for kite flying."

5. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु पर्यावरण विभाग के शासनादेश संख्या-8/2017/188/55-पर्या-2017-49(पर्या)/ 2015, दिनांक 01.05.2017 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम को निम्नानुसार निर्देश निर्गत किए गए है:-

"उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबंधित किया जाता है।

6. उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के उपबन्ध के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 15 में अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये निम्नवत् शास्तियों का प्रावधान किया गया है:-

> (1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिये गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के सम्बन्ध में कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष

तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से और यदि ऐसे असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिये दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

7. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से क्रियान्वयन व अनुपालन कराये जाने एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पंतग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिन में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2723(1)पी/पु-3-2017-57पी/2015 व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. पर्यावरण अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास आफिस कम्पलेक्स,
जवाहरनगर, भेलूपुर जनपद वाराणसी।

महोदय,

निवेदन है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125 / 223 / 293 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 से सम्बन्धित बरामदशुदा चाइनिज मांझा वजन करीब 14946 कि0ग्रा0 जो थाना स्थानीय पर मालमुकदमाती रखा गया है। माल निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी महोदय के आदेश के अनुक्रम में माल निस्तारण किया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त माल के निस्तारण हेतु थाना हाजा पर उपस्थित होकर तिथि / स्थान सुनिश्चित करने की कृपा की जाय जिससे समय से माल का निस्तारण किया जा सके व मा0 न्यायालय को अनुपालन आख्या से अवगत कराया जा सके।

SA2
14/11/25

11/11/25

प्रभारी निरीक्षक
थाना सिगरा, जोन-काशी
कमिश्नरेट वाराणसी

थाना-सिगरा
कमिश्नरेट, वाराणसी

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी।

आदेश

दिनांकः-30.10.2024

प्रभारी निरीक्षक, थाना-सिगरा कमिश्नरेट, जनपद- वाराणसी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी इस आशय का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.01.2025 को मु0अ0सं0-06/2025,धारा-125,223,293 बी.एन.एस. व धारा-5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाम जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी-33/204,31-K-1 हरिनगर कालोनी थाना सिगरा, वाराणसी आजि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सलमान खान को सुपुर्द किया गया था। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 04.02.2025 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है जो माननीय न्यायालय दाखिल है जो विचाराधीन है। मुकदमा उपरोक्त में प्रतिबन्धित अवैध चाइनीज मांझा वजन 14946 किलोग्राम बरामद है, नमूना माल का परीक्षण कराया जा चुका है नमूना माल सुरक्षित रखा गया है। उक्त माल को थाना परिसर में रखा गया, जूहों के कुतरने, वर्षा/धूप के कारण माल सड़ रहाहै जिससे काफी गन्दगी व दुर्गन्ध फैल रही है, कार्यालय में कार्य करने व आन-जाने वाले आगन्तुगणों को काफी परेशानी होती है। माल का विनिष्टीकरण हेतु एक कमेटी गठित किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मुकदमे का माल विनिष्टीकरण करने का आदेश पर्दान करने की कृपा की जाये। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र से समर्थित है एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदित है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र इस निम्नलिखित आदेश के अधीन न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि **प्रभारी निरीक्षक, थाना-सिगरा कमिश्नरेट, जनपद- वाराणसी** नियमानुसार उपरोक्त मामले में बरामद अवैध चाइनीज मांझा वजन 14946 किलोग्राम के निस्तारण संदर्भ में नियमों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनांक 30.10.2025

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
वाराणसी।

ANNEXURE-3 12/11/2025

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्राय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास आफिस कम्पलेक्स,
जवाहरनगर, भेलूपुर जनपद वाराणसी ।

महोदय,

निवेदन है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125 / 223 / 293 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 से सम्बन्धित बरामदशुदा चाइनिज मांझा वजन करीब 14946 कि0ग्रा0 जो थाना स्थानीय पर मालमुकदमाती रखा गया है । माल निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी महोदय के आदेश के अनुक्रम में माल निस्तारण किया जाना है ।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त माल के निस्तारण हेतु थाना हाजा पर उपस्थित होकर तिथि / स्थान सुनिश्चित करने की कृपा की जाय जिससे समय से माल का निस्तारण किया जा सके व मा0 न्यायालय को अनुपालन आख्या से अवगत कराया जा सके ।

SA2
14/11/25

11/11/25
प्रभारी निरीक्षक
थाना सिगरा, जोन-काशी
कमिश्नरेट वाराणसी

थाना-सिगरा कमिश्नरेट, वाराणसी

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी।

आदेश

दिनांकः-30.10.2024

प्रभारी निरीक्षक, थाना-सिगरा कमिश्नरेट, जनपद- वाराणसी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी इस आशय का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.01.2025 को मु0 अ0 सं0-06/2025, धारा-125,223,293 बी.एन.एस. व धारा-5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाम जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी-33/204,31-K-1 हरिनगर कालोनी थाना सिगरा, वाराणसी आजि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सलमान खान को सुपुर्द किया गया था। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 04.02.2025 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है जो माननीय न्यायालय दाखिल है जो विचाराधीन है। मुकदमा उपरोक्त में प्रतिबन्धित अवैध चाइनीज मांझा वजन 14946 किलोग्राम बरामद है, नमूना माल का परीक्षण कराया जा चुका है नमूना माल सुरक्षित रखा गया है। उक्त माल को थाना परिसर में रखा गया, चूहों के कुतरने, वर्षा/धूप के कारण माल सड़ रहाहै जिससे काफी गन्दगी व दुर्गन्ध फैल रही है, कार्यालय में कार्य करने व आन-जाने वाले आगन्तुगणों को काफी परेशानी होती है। माल का विनिष्टीकरण हेतु एक कमेटी गठित किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मुकदमे का माल विनिष्टीकरण करने का आदेश पर्दान करने की कृपा की जाये। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र से समर्थित है एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदित है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र इस निम्नलिखित आदेश के अधीन न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि **प्रभारी निरीक्षक, थाना-सिगरा कमिश्नरेट, जनपद- वाराणसी** नियमानुसार उपरोक्त मामले में बरामद अवैध चाइनीज मांझा वजन 14946 किलोग्राम के निस्तारण संदर्भ में नियमों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनांक 30.10.2025

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
वाराणसी।